06.02.2020

परिवादी, शैलेन्द्र सिंह तरकर, उपस्थित हैं।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना की ओर से संयुक्त श्रमायुक्त, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित हैं।

उभय पक्ष को सुना।

प्रसंगाधीन मामला बाल श्रम उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित परियोजना, राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना (NCLP) के तत्वावधान में संचालित, **विशेष बालश्रम केन्द्र (STC)** का खगड़िया जिला सहित बिहार के समस्त जिलों में कार्यरत नहीं होने से संबंधित है।

आयोग के दिनांक–10.102019 के आदेश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार की ओर से वांक्षित प्रतिवेदन आयोग के समक्ष समर्पित किया गया। संयुक्त श्रमायुक्त, द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष–2006–07 से संचालित प्रसंगाधीन योजना में केन्द्र सरकार द्वारा सीधे संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों को राशि का आवंटन किया जाता है तथा संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा सीधे केन्द्र सरकार को उन राशियों के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाता है। मुख्यालय स्तर पर श्रम संसाधन विभाग मात्र उन परियोजनाओं के अनुश्रवण का कार्य करती है। संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा सूचित किया गया कि अबतक, जितनी राशि बिहार के कुल चौबीस जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी उनमें से कुल–32 करोड़ 57 लाख रुपये के व्यय किये जाने के संबंध में संबंधित जिलों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र केन्द्र सरकार को नहीं दिये जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा अब उक्त योजना की अग्रतर राशि का आवंटन बिहार राज्य के किसी जिलों को नहीं किया जा रहा है। संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा आयोग को विभिन्न जिलों से अव्यवहृत राशि की जिलावार विवरणी आयोग के समक्ष, केन्द्र सरकार के दिनांक–16.10.2018 के पत्र के साथ, प्रस्तुत की गयी है, जिनका उपयोगिता प्रमाण–पत्र उन जिलों के जिला पदाधिकारियों को केन्द्र सरकार को दिया जाना है। संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोग को

सूचित किया गया कि जबतक, अव्यवहृत राशि या तो केन्द्र सरकार को वापस लौटायी नहीं जाती या उनका उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं कर दिया जाता तबतक, केन्द्र सरकार द्वारा आगे कोई राशि आवंटित नहीं की जायेगी।

उक्त के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार से यह अनुरोध है कि केन्द्र सरकार के दिनांक–16.10.2018 के पत्र के आलोक में सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को उनके जिले में STC हेतु अव्यवहृत राशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र केन्द्र सरकार को, आदेश पारित होने के छः सप्ताह के अन्दर, समर्पित करने हेतु निर्देश निर्गत करें तथा उन्हें यह भी सूचित कर दें कि अगर उन अव्यवहृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र या अव्यवहृत राशि को केन्द्र सरकार को नहीं वापस किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता या आपराधिक कृत्य मानकर विधिनुसार कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु वाध्य हो जाना पड़ेगा। इस संबंध में कृत्य कार्रवाई व जिला पदाधिकारियों के अनुपालन के संबंध में दिनांक–14.06.2020 के पूर्व आयोग को प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय। साथ ही साथ आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित चौबीस जिलों के जिला पदाधिकारी को भी भेजते हुए सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–110001 उनके Fax No. –011–23355679 व E-mail- secy-labour@nic.in पर भी भेजी जाय।

आज उभय पक्ष एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त श्रमायुक्त की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें अलग से सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

सुनवाई हेतु उपरोक्त निश्चित तिथि (दिनांक 30.06.2020) को श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की ओर से मामले के जानकार प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

परिवादी अगर आवश्यक समझें तो वह भी अगली निश्चित तिथि को उपस्थित रह सकते हैं।

सुनवाई हेतु संचिका दिनांक 30.06.2020 को उपस्थापित की जाय। ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक